



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में मारपीट करने के आरोपी 1-दीपक, 2-गोलू, 3-शनि, 4-मनि उर्फ मनीष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 01 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्तों 1-दीपक, 2-गोलू पुत्रगण रमेश, 3-शनि, 4-मनि उर्फ मनीष पुत्रगण सत्यवीर निवासीगण ग्राम सैदपुर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 100/2021 धारा 323/324/504/506 भादवि व 3(2)द घ एससी/एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-दीपक, 2-गोलू, 3-शनि, 4-मनि उर्फ मनीष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को 01 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री
इन्द्रपाल
एडीजीसी

है0का0
विनोद कुमार
कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 304/26 धारा 352/351(2)/333 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07-05-2026 को थाना बडौत पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तों 1. विकेन्द्र पुत्र कृष्णपाल एवं 2. रोबिन पुत्र विरेन्द्र निवासीगण ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुए अंजाम भुगत लेने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर



के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 304/26 धारा 352/351(2) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 333 बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 304/26 धारा 352/351(2)/333 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रोबिन पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बड़ौत ।
- 2-है0का0 559 सचिन कुमार थाना बड़ौत ।
- 3-का0 142 दीपक कुमार थाना बड़ौत ।
- 4-का0 421 अंकुल सिंह थाना बड़ौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 13.05.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 33 पक्वै अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 33 पक्वै अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ब्रह्मपाल पुत्र स्व0 रामकला निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

33 पक्वै अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 427 अरुण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक- 13.05.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 35 पब्बे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 35 पब्बे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुए हैं।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 134/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र पवन निवासी धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 35 पब्बे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3.रि0का0 539 मनीष थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.05.2026

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम सैदपुर थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी शेकर विहार लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।